जाने तथा उक्त भूमि का नामांकन किया जाकर मौके पर पत्रावली के आधार सुधार सम्बन्धित तथा राजस्व अभिलेख में तरमीम कायम किये जाने की हेतुका की है। इस पर राजस्व प्राप्त पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर उपरोक्त तहसीलदार, सोजत को आवश्यक शेष वाद जबाब प्राप्त पत्र तलब किया गया।

राज्य सरकार द्वारा आरोपित व्यापार आयकर अधिनियम, 2017 में आरोपित राजस्व लोक अदालत केस फाईल - परमावास पट्टा अदालत सेवा केन्द्र पर आज पेश हुई। उपरोक्त तहसीलदार, सोजत जबाब पेश करना नहीं चाहते है, जबाब बन्द किया जाता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी उपस्थित, उभय पक्षों का अजमाइश आम में सुना गया। वास्तव: वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा - सिंगापुरा ख.नं. 39/656 रकबा 1.6200 हैक्टेयर आ.हे. की स्थित भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की है, जिससे उक्त भूमि का नामांकन भू.आ. निधि अंकन एवं पटवारी हल्का - परमावास तथा अन्य पटवारी की संयुक्त टीम का गठन किया कायम किया जाना तथा मौके पर पत्रावली किये जाने कि तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझता है।

— आदेश —

अतः आवेदक भाग प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 LR Act, 1956 का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है कि भू.आ. निधि अंकन सम्बन्धित, पटवारी हल्का - परमावास पट्टा तथा अन्य पटवारी की संयुक्त टीम गठित की जाकर मौजा - सिंगापुरा पर परमावास पट्टा तह. सोजत की कृषि भूमि ख.नं. 39/656 रकबा 1.6200 हैक्टेयर आ.हे. भूमि का नामांकन किया जाकर मौके पर पत्रावली कार्रवाई जाकर सुधार सम्बन्धित जाकर पालना अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में तरमीम किया जाकर पालना व्यापालन हाजा अवश्य में निर्वाह। उक्त निर्णय की प्रति तहसीलदार, सोजत को निर्वाह। उक्त निर्णय की पालना करवाई जावे। प्रत्यावेदी पक्ष को सूचित कर पालना करवाई जावे। बाद तामील जाकर शुमार होकर मुकदमा खारिज जाना है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 07-06-2017 को व्यापार आयकर अधिनियम, 2017 बाद काम में आरोपित राजस्व लोक अदालत केस फाईल - परमावास पट्टा पर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत

Scanned by CamScanner